भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1301
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

महिला सुरक्षा

1301. श्रीमती संजना जाटवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो बलात्कार और दुर्व्यवहार के व्यापक मुद्दों, जो हर दिन सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित कर रहे हैं, को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) यदि हां, तो देश में प्रचलित इन दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जाँच और अभियोजन सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। भारत सरकार महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों का समर्थन और पूरक करती है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम/पहल नीचे दिए गए हैं:

i. यौन अपराधों के प्रभावकारी निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार के मामलों में 2 महीने के भीतर जाँच पूरी किए जाने और आरोप पत्र दायर करने तथा ट्रायल को भी 2 महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है।

ii. तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ, पहली बार, महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबन्धित प्रावधानों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में एक अध्याय के तहत रखा गया है। शादी, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर आदि यौन संबंध बनाने को एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है। यह प्रावधान एक निवारक के रूप में कार्य करता है और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास या मृत्यु होगी। पहले, इस तरह की सजा के लिए आयु सीमा 12 वर्ष थी।

iii. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर (112) आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें संकटग्रस्त कॉलर के स्थान की पहचान करने और संकट के स्थान पर जमीनी संसाधनों को भेजने की सुविधा के लिए स्थान-आधारित सेवा/ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस शामिल है।

iv. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

v. सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ, जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लॉन्च किया है। गृह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता निर्माण हेतु "महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

vi. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) का शुरुआत किया है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 1301 दिनांक 11.02.2025

vii. गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसे ट्रैक करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए 19 फरवरी, 2019 को पुलिस हेतु "यौन अपराधों के लिए निगरानी प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल लॉन्च किया है।

viii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में डीएनए विश्लेषण की एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उन्नयन को भी मंजूरी प्रदान की है।

ix. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता के सृजन की सुविधा प्रदान करने के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरिएंटेशन किट के रूप में यौन हमला साक्ष्य संग्रहण की 18,020 किटें वितरित की हैं।

x. गृह मंत्रालय ने पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्कों और देश के सभी जिलों में मानव तस्करी-रोधी इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं।

xi. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

xii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करना है और महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा से लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।

xiii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से Universalisation of Women Helpline (WHL) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल सेवा के माध्यम से तत्काल और 24 घंटे की आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24 घंटे की टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान की जाती है। महिला हेल्पलाइन को 34 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 (ERSS-112) हेल्पलाइन और 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के साथ एकीकृत किया गया है। वर्तमान में, महिला हेल्पलाइन-181 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है।

xiv. न्याय विभाग की बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष POCSO न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) की स्थापना के लिए 2019 से एक योजना लागू है। मौजूदा जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.12.2024 तक, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 406 विशेष POCSO न्यायालयों सहित कुल 747 FTSC कार्यरत हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इन न्यायालयों ने 2,99,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

******